NT>

Title: Regarding alleged misbehavior with the Member of Parliament by a Railway Official in Brahmaputra Mail.

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : महोदय, मैंने विशेाधिकार का नोटिस दिया है। मैं उसी विाय पर बोल रहा हूं। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 18.09.2002 को उड़ान से नई दिल्ली से पटना पहुंचा और जमालपुर जाने के लिए ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हुआ। जब गाड़ी किउल जंक्शन पर पहुंची, तब पुलिस बल, रेल मैजिस्ट्रेट और बहुत से टिकट निरीक्षकों के साथ श्री हेमंत कुमार, एडिशनल डी.आर.एम. मालदाह टिकट चैक करने के लिए मेरे सैकेन्ड-ए.सी. डिब्बे में सवार हुए। डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। वे मेरे पास आकर बोले - "ये सब लोग कौन हैं? तुम इन लोगों का टिकट दो।" मैं उनके व्यवहार से अवाक हो गया। उन्होंने 'तुम' कह कर सम्बोधित किया। 'तुम' शब्द अनादर और अशिट एवं अभद्र सम्बोधन है। हम लोग सम्मानसूचक शब्द 'आप' का प्रयोग करते हैं। मैंने ज वाब दिया - "मैं नहीं जानता, ये कौन हैं। आप सक्षम अधिकारी हैं, जो कानून कहता है, उसके अन्तर्गत यात्रियों से निपटिए।" इस पर वे भड़क कर बोले - "तुम अपने को क्या समझता है। तुम एम.पी. है, तो क्या? मैं चाहूं, तो तुम्हें यहां और अभी ठीक कर दूंगा।" मैंने कहा - "आप अधिकारी हैं, जो आप उचित समझते हैं, अभी कर लीजिए। आप भी अपने को कानून से ऊपर मत समझिए।" इस पर वे और भड़क उठे और गरजकर बोले - "तुम धमकी देता है। अभी तुमको मजा चखाता हूं। अपने बिना टिकट के चलता है और सैंकड़ों आदमियों को बिना टिकट चलाता है।" इस पर मैंने खामोश रहना ही उचित समझा, क्योंकि उनके रुख से मालूम पड़ रहा था कि मैं कुछ और बोलता तो वे मेरी पिटाई कर देते। इस तरह श्री हेमंत कुमार ने मुझ पर लांछन लगाया कि मैं बिना टिकट के चलता हूं और बिना टिकट यात्रियों को गाड़ी पर ले जाता हूं। इससे मेरी प्रतिठा तथा प्रतिभा धूल में मिल गई। साथ-साथ अभद्र और अशिट शब्द उन्होंने कहे। इससे मैं अपमानित भी हुआ हूं।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री हेमंत कुमार के विरुद्ध विशेाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरु कर उन्हें उचित सजा दें।

MR. SPEAKER: आपने जो कहना था, वह कह दिया है। I have already called for a factual note from the Ministry of Railways. I will take a decision after receipt of factual note from the Railways.

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए। मामला इतना ही नहीं है, मैंने टैलीग्राफ की छायाप्रति लगाई है, जिसमें हैडिंग है - "विदाउट टिकट चल रहे थे।" कोई भी एमपी विदोउट टिकट नहीं चलता है, उसके पास पहचान पत्र होता है। मेरा रिजर्वेशन था और उस टिकट की फोटोकापी भी मैंने उसके साथ लगाई है।

मुझसे वह पहचान-पत्र मांग सकता था कि आप दिखाइए, आप ब्रह्मानंद मंडल है या नहीं। मेरा टिकट मुझ से नहीं मांगा और किसी दूसरे का टिकट मुझ से मांग रहा है। वह अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, यह सुनियोजित बात लगती है। मैं नहीं पहचानता था, लेकिन वह मुझे पहचानता था, ऐसा मुझे लगा। आप रेलवे मंत्रालय से इस पर क्या पूछेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं? क्योंकि उन्होंने मेरे संसदीय कार्य के लिए की जा रही यात्रा में विध्न डाला है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विाय को हम देख रहे हैं। रेलवे से मेरे पास पूरी इन्फोरमेशन आएगी तो फिर आपसे मेरी बात हो सकती है।